छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचम सत्र अंक-5

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015

(श्रावण 2, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 65 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

3. विशेषाधिकार भंग की सूचना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने आसंदी से आग्रह किया कि प्रतिपक्ष ने विधान सभा के नियम प्रक्रिया, परंपराओं की मर्यादा को तोड़ा है। आरोप पत्र गोपनीय होता है, आरोप पत्र को विधान सभा के बिना पटल पर रखे उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया है, यह सदन की अवमानना है। वरिष्ठ सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है इसलिए विशेषाधिकार भंग की सूचना पर पहले चर्चा करवायें बाद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करायें।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने भी विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से जानना चाहा कि क्या आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा होता है ? अविश्वास प्रस्ताव एक वाक्य का होता है कि मंत्रि-परिषद् के प्रति हम अविश्वास प्रकट करते हैं। आप लोगों ने आरोप पत्र को अविश्वास प्रस्ताव के साथ जोड़कर विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। वह मेरे विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से कार्यवाही आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 197 (1) का उल्लेख करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि उन्होंने सदस्यों से यह पूछा है कि क्या आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पुन: विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा की मांग की गई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि सत्ता पक्ष द्वारा सूचना आज दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव आज की कार्य सूची का विषय है विशेषाधिकार इस कार्य सूची का अंग नहीं है। माननीय अध्यक्ष अपने कक्ष में इस पर विचार कर फैसला लेने संबंधी आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने भी विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि विशेषाधिकार भंग की सूचना का प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है उस पर वे पश्चात् व्यवस्था देंगे। अब अविश्वास पर चर्चा होगी।

4. कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों द्वारा व्हिप का उल्लंघन

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान कांग्रेस दल के द्वारा अपने सदस्यों के लिए जारी व्हिप का, दल के दो सदस्यों द्वारा उल्लंधन किये जाने संबंधी सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया। श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस दल से स्थिति स्पष्ट न किये जाने पर दोनों सदस्यों की दल से सदस्यता समाप्त करने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सूचना 11.45 बजे प्राप्त हुई है। वे इस पर विचार करने के पश्चात् निर्णय देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। दोनों सदस्य कांग्रेस के हैं या नहीं अथवा सदन के सदस्य हैं या नहीं यह निर्णय होने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

मानननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 10 वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्णय की एक प्रक्रिया है। इसमें माननीय सदस्यों की इच्छानुसार निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सूचना नियमों की पूर्ति नहीं करती इसलिए उन्होंने इसे अग्राह्य कर दिया है।

6. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं उनके मत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप पत्र की प्रति सभा के पटल पर रखी।

7. आरोपों की सूचना एक दिन पूर्व देने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आरोप पत्र की प्रति बंट जाये उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने उल्लेख किया कि परंपरा है कि जो आरोप लगाये जाते हैं उसकी सूचना एक दिन पूर्व संबंधित सदस्यों को दी जानी चाहिए। आरोप पत्र अभी पटल पर रख रहे हैं तो आरोपों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पूरा सदन इस बात को जानता है कि ये पटल पर रखने की एक प्रक्रिया है, जो पहले आरोप पत्र प्रस्तुत किया है वही आरोप पत्र है, लेकिन एक प्रक्रिया के अंतर्गत अभी रखा गया है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(उपाध्यक्ष महोदय को प्रथम बार आसंदी पर विराजमान होने पर बधाई दी गई।)

श्री भूपेश बघेल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति ने रात्रि 10 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

8. बहिष्कार

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य के भाषण का बहिष्कार किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्रीमती (डॉ.) रेणु जोगी सदन में उपस्थित हुए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सदन में उपस्थित हुए।

9. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष बाफना, चिंतामणी महाराज, तोखन साहू-संसदीय सचिव, अरूण वोरा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजशरण भगत, अमरजीत भगत, अमर अग्रवाल-नगरीय प्रशासन मंत्री, कवासी लखमा, श्रीचंद सुंदरानी, दिलीप लहरिया, अवधेश सिंह चंदेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

रात्रि 10.04 बजे माननीय अध्यक्ष ने सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष की सहमति से सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2015 (श्रावण, 3 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा